



कुतुब गोल्फ कोर्स, डीडीए में कोचिंग सेवाओं के लिए नोटिस

दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) टीचिंग प्रो के विभिन्न गोल्फ कोर्स / क्लबों से और पीजीटीआई, आईजीयू और पीजीए से मासिक लाइसेंस शुल्क आधार पर डीडीए, कुतुब गोल्फ कोर्स की गोल्फ ड्राइविंग रेंज में कोचिंग करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रवीणता के मूल्यांकन के बाद वार्षिक अनुबंध प्रदान किए जाएंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों से अनुरोध है कि वे गोल्फ कोचिंग, निवास और आयु के प्रमाण, हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो, फोन नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए क्षेत्र में योग्यता और अनुभव का पूरा विवरण 01 सितंबर 2020 तक नवीनतम भेज सकते हैं। सचिव, QGC, प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली- 110030 (टेलीफोन नंबर 011-20861731)। एक प्रति ईमेल द्वारा qgcdda@yahoo.co.in पर भी भेजी जा सकती है।

शिक्षण शुल्क और कोचिंग शुल्क (1/2) hr के लिए) डीडीए के लिए देय लाइसेंस शुल्क सदस्यों / गोल्फरों से लिया जाएगा: -

कोच का वर्गीकरण	लाइसेंस शुल्क (प्रति माह) डीडीए को देय	कोचिंग का शुल्क (½ घंटे के लिए।)
A	Rs. 25000.00	Rs. 1400/-
B	Rs. 20000.00	Rs. 900/-
C	Rs. 16000.00	Rs. 650/-
D	Rs. 12500.00	Rs. 350/-

शिक्षण पेशेवरों के चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं: -

कुतुब गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज में एम्पैनमेंट की मांग करने वाले गोल्फ शिक्षण पेशेवरों के लिए योग्यता और मानदंड।

(1) सभी शिक्षण पेशेवरों को एनजीएआई प्रमाणित होना चाहिए।

(2) **श्रेणी: -**

• **कक्षा' (ए)**

NGAI "A" प्रमाणन - 2016 या पहले। एशियन टूर, यूरोपियन टूर, यूरोपियन लेडीज टूर, जापानी टूर, यूएस पीजीए टूर और यूएस एलपीजीए टूर में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को होना चाहिए।

• **कक्षा' (बी)**

एनजीएआई "बी" प्रमाणन - 2016 या पहले। प्रशिक्षुओं को पीजीटीआई या उच्चतर टूर, आईजीयू नेशनल स्क्वाड के सदस्यों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

• **कक्षा' (सी एंड डी)**

NGAI "C & D" प्रमाणन - 2016 या पहले। कुतुब गोल्फ कोर्स में 5 या उससे कम की खेल क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए।

3) कोचों को प्राथमिकता दी जाएगी जो दिल्ली में किसी भी गोल्फ अकादमी / ड्राइविंग रेंज के पैनल में नहीं हैं।

4) सभी कोचों को कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

5) कोचों को गोल्फ उपकरण और सहायक उपकरण बेचने या किराए पर लेने की सख्त मनाही है।

आयुक्त (खेल)